

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1621/2008/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीज, खैरथल.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री रामकरण सिंह,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री ओ. पी. गुप्ता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 05/02/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 89/उपा-भरत/07-08/आरएसटी में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.02.2008 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 30, 58, 65 व 69 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.03.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 12.06.2002 को किये गये सर्वेक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 1998-99 का अधिनियम की धारा 30, 58, 65 व 69 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2007 को पारित करते हुए क्रय कर रूपये 83,198, ब्याज रूपये 1,32,285/- एवं शास्ति रूपये 1,66,396/- कुल रूपये 3,81,879/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.02.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में गम्भीर भूल की है। प्रत्यर्थी ने राज्य के भीतर से की गई खरीद को मिथ्या रूपमें राज्य के बाहर से खरीद करना बताया, अतः क्रय कर रूपये 83,198, ब्याज रूपये 1,32,285/- एवं शास्ति रूपये 1,66,396/- आरोपित सही किये गये हैं।। अपीलीय अधिकारी ने विधि की सही मंशा को समझने में भूल की है तथा धारा 30 के परन्तुक के अधीन कर निर्धारण में निर्धारण से छूटे कर का पण्यावर्त पर करारोपण किया जाना होता है। अपीलीय अधिकारी ने राय परिवर्तन के आधार पर कर निर्धारण किया जाना विधिसम्मत नहीं है, ठहराने में भूल की है। राज्य के बाहर के विक्रेताओं से जांच की गई है तथा जांच पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थी ने वास्तव में राज्य के भीतर से माल खरीदा है, परन्तु गलत रूप से राज्य के बाहर से खरीदना दर्शाया है। जांच की ओर आवश्यकता होने पर मामले को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए था। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी फर्म का दिनांक 01.04.1998 से 31.03.1999 की अवधि के कर निर्धारण वर्ष 1998–99 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.02.2001 को पारित किया गया है। इसके पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 30, 11, 58, 65 व 69 में वर्ष 1998–99 के लिये नोटिस जारी किया व नोटिस में आक्षेप किया कि प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जेयपुर द्वारा दिनांक 12.06.2002 को किया गया। इसमें उल्लेख किया कि विभागीय अधिकारियों ने जांच में पाया कि सरसों/सरसों तेल की दो खरीद, जिसकी राशि रूपये 20,79,947/- है, जो निम्न विक्रेताओं से की गई है, सत्यापित नहीं हुई है।

(i) मैसर्स बनास ऑयल मिल, चण्डीसर, गुजरात से रूपये 9,92,410/- की सरसों/सरसों तेल की खरीद।

(ii) मैसर्स आशा ट्रेडर्स विशनगर, गुजरात से रूपये 11,57,533/- की सरसों/सरसों तेल की खरीद।

6. प्रत्यर्थी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत को दिनांक 22.11.2005 को विस्तृत लिखित उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेखित किया कि –

(i) आक्षेपित कर निर्धारण अधिनियम की धारा 30 से अनुज्ञेय नहीं है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :-

८८३४५४

(1) 12 एस.टी.ए. 128 (राज.बो.)

(2) 124 एस.टी.सी. 130 (राज.)

(ii) जांच अधिकारी व तृतीय पक्षकार से प्रतिपरीक्षण के अवसर की मांग गई। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :–

(1) 1996 आर.टी.सी. 64 (राज.)

(2) 1999 एस.टी.सी. 154 (मद्रास)

(3) 91 टैक्स वल्ड 368 (राज.)

(iii) प्रारम्भिक आपत्ति निस्तारण के लिये निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये –

(1) 4 एस.टी.ओ. 116 (राज.)

(2) (1980) 121 आई.टी.आर. 141 (राज.)

(3) (1979) टी.आर. 463 (राज.)

(iv) प्रत्यर्थी ने गुजरात की उक्त दोनों फर्मों से सरसों/सरसों तेल खरीदने को अस्वीकार किया। खरीद का कोई आधार नोटिस में उल्लेखित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने इन्वॉयस की प्रति संलग्न नहीं की तथा न ही दिनांक 12.6.2002 की सर्वे रिपोर्ट की प्रति संलग्न की।

7. इसके विपरीत प्रत्यर्थी ने घोषित किया कि उन्होंने रुपये 9,22,418/- का सरसों तेल मैसर्स श्री बनासकांठा जिला ऑयल सीड़स ग्रोवर्स को—ऑप. यूनियन लिमिटेड बदरपुर तहसील पालनपुर (CST No. GUJ-3J1341 एवं GST No. 24622487) से खरीद किया है, जो गुजरात राज्य में पंजीकृत है। दूसरा रुपये 11,57,537/- सरसों तेल मैसर्स उमा ट्रेडिंग कम्पनी विसनगर (CST No. GUJ-5E 1555 एवं GST No. 26829470) से खरीद किया है। इन दोनों खरीद का डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान किया है तथा टैंकर से माल आपूर्ति किया गया है। इसके समर्थन में बिल, बिल्टी, तोल पर्ची व अन्य दस्तावेज उत्तर के साथ प्रस्तुत कर दिये थे। इन वास्तविक विक्रेताओं से कोई जांच नहीं की गई थी। इसके साथ ही कार्यवाही ड्रॉप करने की प्रार्थना की गई।

8. कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब पर कोई विचार नहीं करते हुए दिनांक 30.03.2007 को अधिनियम की धारा 30, 58, 65 व 69 में आदेश पारित किया व क्रय कर रुपये 83,198/- ब्याज रुपये 1,32,285/- व शास्ति रुपये 1,66,386/- कुल रुपये 3,81,379/- आरोपित किये।

9. उक्त कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत की गई। इसमें धारा 30 में व्यापार के उस भाग का जिसका कर निर्धारण पारित हो चुका है, को करने के क्षेत्र को सीमित (प्रतिबंधित) करता है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :–

- (1) 14 टैक्स अपडेट 259 (रा.क.बो.)
- (2) 7 टैक्स अपडेट 265 (रा.क.बो.)
- (3) 10 टैक्स अपडेट 233 (रा.क.बो.)
- (4) 5 टैक्स अपडेट 37 (रा.क.बो.)

10. वाणिज्यिक कर अधिकारी ने केवल दो संव्यवहारों पर ही करारोपण किया है, जबकि उन्हें समस्त व्यापार व संव्यवहारों पर निर्धारण करना चाहिये था। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया :—

- (1) (1977) 39 एस.टी.सी. 177 (एस.सी.)

11. प्रत्यर्थी द्वारा घोषित खरीद वाले विक्रेताओं से विभाग के अधिकारियों ने कोई जांच नहीं की। अपीलीय अधिकारी ने निर्णीत किया कि प्रत्यर्थी को बिना बताये कोई सामग्री एकत्रित की है तो वह प्रत्यर्थी को बताई जानी चाहिये थी। विपरीत मत लेने की स्थिति में प्रतिपरीक्षण की मांग पर प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान करना चाहिये था। इसकी पालना नहीं होने पर मांग सृजन अविधिक होती है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :—

- (1) 125 आई.टी.आर. (एस.सी.) 713
- (2) 122 एस.टी.सी. 279 (दिल्ली) का

12. अपीलीय अधिकारी ने अभिमत दिया कि विभागीय अधिकारियों ने पूर्ण जांच नहीं की है तथा अपूर्ण जांच पर आरोपित मांग अविधिक होती है। निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया,—

- (1) 76 आई.टी.आर. 606 (एस.सी.)
- (2) 88 आई.टी.आर. 26 (एस.सी.)
- (3) 123 आई.टी.आर. 497 (एस.सी.)
- (4) 104 एस.टी.सी. 217 (राज.)
- (5) 23 टैक्स वर्ल्ड 240 (रा.क.बो.)

13. अपील सुनवाई के समय बहस में प्रत्यर्थी ने आक्षेपित दो खरीद संव्यवहारों को अस्वीकार किया तथा जिनमें खरीदी है, उनका विवरण दोहराया। कर निर्धारण वर्ष 1998–99 का नियमित कर निर्धारण 05.02.2001 को सम्पूरित किया जा चुका था तथा गुजरात की इन दोनों खरीदों का कर निर्धारण में समावेश था। अतः खरीद को पुनः कर निर्धारण करना धारा 30 की क्षेत्र में नहीं आता है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :—

- (1) 5 टैक्स अपडेट 37 (रा.क.बो.)
- (2) 7 टैक्स अपडेट 265 (रा.क.बो.)
- (3) 10 टैक्स अपडेट 233 (रा.क.बो.)
- (4) 14 टैक्स अपडेट 259 (रा.क.बो.)

(5) 26 टैक्स अपडेट 251 (एस.सी.)

(6) 38 टैक्स अपडेट 269 (राज.)

14. कर निर्धारण राय परिवर्तन पर किया गया, वह अविधिक है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :—

(1) 124 एस.टी.ए. 128 (रा.क.बो.)

(2) 124 एस.टी.सी. 130 (राज.)

15. कर निर्धारण खोले जाने पर पूर्व में किये गये कर निर्धारण के संव्यवहारों को भी शामिल किया जाना अविधिक है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :—

(1) 39 एस.टी.सी. 177 (एस.सी.)

(2) 32 एस.टी.सी. 77 (एस.सी.)

(3) 75 आई.टी.आर. 373 (एस.सी.)

16. विभागीय अधिकारियों की एकतरफा जांच व प्रतिपरीक्षण कराये बिना तथा सार सामग्री को बताये बिना किया गया कर निर्धारण अविधिक है। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :—

(1) 1986 आर.टी.सी. 64 (राज.)

(2) (1999) 115 एस.टी.सी. 154 (मद्रास)

(3) 142 एस.टी.सी. 130

(4) 2 टैक्स अपडेट 274 (रा.क.बो.)

17. कर निर्धारण अधिकारी को प्रारम्भिक आपत्ति का निस्तारण कर निर्धारण सम्पूरित करने से पहले करना चाहिए था। निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये :—

(1) (1980) 121 आई.टी.आर. 141 (राज.)

(2) 1979 टी.आर. 463 (राज.)

18. विभाग खरीद को प्रमाणित करने में असफल रहा है। वाणिज्यिक कर अधिकारी को माल के बारे में भी निश्चित जानकारी नहीं है, क्योंकि माल में सरसों/सरसों तेल लिखा है। करारोपण सही तथ्यों के आधार पर नहीं किया गया है। अतः कर, ब्याजव शास्ति आरोपण त्रुटिपूर्ण किया है तथा अपीलीय अधिकारी ने सही रूप में कर निर्धारण आदेश को अपास्त किया है।

19. उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

20. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया व न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया।

५ नाम ५/१

21. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आक्षेपित दो खरीद संव्यवहार, जो गुजरात राज्य से करने, जिसमें गुजरात की कथित विक्रेता व्यवहारी मैसर्स बनास ऑयल मिल चण्डीसर, पालनपुर गुजरात से सरसों/सरसों तेल रूपये 9,92,410/- एवं मैसर्स आशा ट्रेडर्स विशनगर गुजरात से रूपये 11,57,537/- द्वारा विक्रय करना/होना नहीं मानते हुए तथाकथित विक्रेता फर्म अस्तित्वहीन होने के कारण, के आधार पर इन फर्मों के नाम से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर क्रय करना अवधारित किया। कथित खरीद किया गया माल अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में आयात नहीं करने के कारण क्रय कर की चोरी की मंशा से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संव्यवहार दर्शाये गये हैं। राज्य के भीतर सरसों/सरसों तेल खरीद कर, क्रय कर के दायित्व से बचने का आक्षेप अवधारित किया गया। इस अवधारणा के साथ दोनों खरीद को राज्य के अन्दर बिना देय कर अथवा बिक्री कर चुकाये खरीद मानी जाकर अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत क्रय कर का दायित्व 4 प्रतिशत से रूपये 83,198/- निर्धारित किया तथा ब्याज रूपये 1,32,285/- व शास्ति रूपये 1,66,396/- आरोपित की।
22. इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 11 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :—

Sec. 11. Levy of purchase tax.-

- (1) Every dealer who in the course of his business purchases any goods other than exempted goods, in the circumstances in which no tax under sections 4 and 12 is payable on the sale price of such goods, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the same rate at which it would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12.
- (2) Where any dealer has purchased any goods, otherwise than under the provisions of section 10, without paying any tax or after paying tax at concessional or reduced rate of tax on the strength of any declaration furnished by him under the Act, the purchase price of such goods shall be included in his taxable turnover and such dealer shall be liable to pay tax with interest at the same rate which would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12, except in a case where such dealer satisfies the assessing authority that the said goods have been utilised for the purpose mentioned in the declaration form.

मनोहर शर्मा

लगातार.....7

(3) Where tax is leviable under sub-section (1) at the time of purchase of any goods, no tax under section 4 shall be leviable at the time of sale of such goods.

(4) The dealer shall be entitled to claim set-off of the tax paid by him under sub-section (2) on the purchase price of the goods, against the tax payable by him on the sale of such goods.

23. धारा 11 में करारोपण के लिये यह आवश्यक है कि राज्य के भीतर क्रय का संव्यवहार प्रमाणित किया जाना चाहिये। कर निर्धारण अधिकारी ने क्रय कर आरोपण से पूर्व राज्य के भीतर खरीद को प्रमाणित नहीं किया है। राज्य के भीतर किस विक्रेता से माल खरीदा है, क्या माल खरीदा है, माल का हस्तान्तरण विक्रेता से क्रेता के मध्य किस प्रकार घटित हुआ है; इन समस्त मूलभूल संघटकों को कर निर्धारण अधिकारी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। क्रय कर आरोपण के लिये राज्य के भीतर खरीद मानकर क्रय कर आरोपित किया गया है, माना जाकर क्रय कर आरोपण विधिसम्मत नहीं है।

24. उक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

25. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

26. निर्णय सुनाया गया।

४२१५१०८-२०
(मनोहर पुरी)
सदस्य